फर्द अहकाम

मिट्ठूराम बनाम बीरबल

नाम न्यायालय ~~SDM(...)~~ SDO कोर्ट शाहपुरा

केस संख्या 169/2016 दावा 53, 188 R.T.Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/6/2018	आज मय पत्रावली राजस्व लोक अदालत के मय शिविर शिमनपुरा मे पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली प्र-पत्र 06 R17 CPC मे विचाराधीन है। पत्रावली मे प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। बावजूद तामील उप-नहीं। प्रति-स-1 लगा-11/12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे ली जाती है। प्रा-पत्र 06 R17 का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे अवलोकन किया। मूल वाद खण्ड स-1 मे कुल रकबा 0-64 हे- लिखा गया है। जबकी कुल रकबा 0-66 हे- है। जो लिपिकीय त्रुटी है। अतः प्रा-पत्र 06 R17 CPC स्वीकार किया जाता है। मूलवाद की खण्ड स-1 मे 0-64 के स्थान पर 0-66 हे. रकबा दुरूस्त किया जावे। वाद पत्र मे बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है। अतः दावा बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। दावा संक्षेप मे इस प्रकार है कि आ-ख-न 340/0.30, 371/0.36 हे- कुल कित्ता 2 रकबा 0-66 हे- वाके ग्राम कल्याणपुरा तह-शाहपुरा जयपुर मे स्थित है। वाद पत्र मे उक्त आराजी मे वादी का 11/40 हिस्सा तथा प्रतिवादी स-1 का आ-ख-न-371 मे 1/4 भाग व ख-न-340 मे 546.35/3600 हिस्सा है। प्रति-स-1 लगा-4 मृतक ध्यानीराम पुत्र बीजाराम के वारिसान है, जिनका आ-ख-न-371/0-36 हे- मे 1/5 हिस्सा है। प्रति-स-5 लगा-13 आराजी के खरीददार खातेदार काश्तकार है जो आ-ख-न-340/0.30	

संख्या 169/2016 धारा 53, 188 रा.-एक्ट

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/6/18 लगातार	उत्तर लहिंग में हिस्से वाद पत्र में नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दिखाया गया है। प्रतिवादी स.नं. 13 ख.नं. 3540/0-30 हे. में अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर आवास निर्माण कर रखा है। वादी अपनी सहमति से बनवंटन से उक्त बटवारे अनुसार अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज रहकर आवास निर्माण कर रखा है। लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आने से प्रतिवादीगण शामलाती भूमि होने से अपने हिस्से की भूमि को दिगर व्यक्ति को बेचान कर वादी के हिस्से में आई भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनी बटवारा कराने हेतु कहने पर इन्कार हो गए। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण दीगर व्यक्ति को विक्रय करने व वादी को जबरन बेदखल करने की स्पष्ट धमकी दी। इसलिए वादी को वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बटवारा कर पृथक-पृथक खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी के हिस्से में आई पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादी के काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करे। पत्रावली दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17/5/2017 को प्रस्तुत वाद की प्राथमिक डिक्री पारित किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।	

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

निरंजन बनाम बीरबल

नाम न्यायालय SDO कोर्ट शाहपुरा

केस संख्या 169/16 दावा 53/88

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	8/6/18 8/6/18	बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है। बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट सही तैयार की गई है। बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। आ-ख-न- 371/0-36, 340/0-30 हे- कुल किता 2 रकबा 0-66 हे- वाके ग्राम रघुनाथपुरा तह- शाहपुरा जयपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को पृथक-पृथक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।	
	(1)	वादी को बटवारे अनुसार आ-ख-न- 371 रकबा 0-36 हे- भूमि हिस्से में रहेगी।	
	(2)	प्रति-स- 5 हिस्सा 34/3600, प्रति-स-6 हि- 411-77/3600 धर्मीराम की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान प्रति-स- 1 व 4 के हि- 990-35/3600, प्रति-7 के हि- 188-88/3600, प्रति 8, 9, 10 के हि- 71-77/3600, प्रति-स-11 के हिस्सा 35-88/3600 प्रति-स- 12 के हि- 120/3600, प्रति-5 हिस्सा 34/3600, प्रतिवादी स- 1 हि- 1636-67/3600, प्रति स- 13 के हिस्सा 26-66/3600 के बटवारे में आ-ख-न- 340 रकबा 0-30 हे- भूमि हिस्सेनुसार रहेगी। रिपोर्ट बटवारा व नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो। पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से सख्त-सख्त के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

रवि... (...)
... राजस्व अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)